सहायक कलक्टर (कोर्ट ...)

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

रणजीत सिंह / भूमिधारी

मु. नं. 94/2023

तारीख हुक्म	
02/05/2025	वास्ते आदेश पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावी व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात, पेशशुदा शपथ–पत्र एवं तहसीलदार पाटन से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ''लाला पुत्र नन्दाराम'' दर्ज हैं जबकि वादी का नाम ''लाला पुत्र नन्दाराम'' की जगह ''रणजीत सिंह पुत्र नन्दाराम'' सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा– आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, राशन कार्ड, राजस्थान पुलिस आईडी कार्ड तथा तहसीलदार पाटन से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं किः–

आदेश

तन ग्राम बिहारीपुर पटवार हल्का बिहारीपुर तहसील पाटन जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 88, 100, 90 ता 95, 97 ता 99 में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम ''लाला पुत्र नन्दाराम'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''रणजीत सिंह पुत्र नन्दाराम'' दुरूस्त किया जाने की घोषणा की जाती हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:22:10 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
सहायक उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना नीमकाथाना

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. रणजीत सिंह पुत्र नन्दाराम जाति अहीर निवासी बिहारीपुर तहसील पाटन जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पाटन जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा

मुकदमा नं. 94 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी श्री धर्मवीर यादव एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि तन ग्राम बिहारीपुर पटवार हल्का बिहारीपुर तहसील पाटन जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 88, 100, 90 ता 95, 97 ता 99 में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम "लाला पुत्र नन्दाराम" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "रणजीत सिंह पुत्र नन्दाराम" दुरूस्त किया जाने की घोषणा की जाती हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो

.निज......................मुबलिग..बाबत..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02 माह 05 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत..........
ओहदा................
सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:22:10 IST
Reason: SelfAttested